


कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद



सब पढ़ें सब बढ़ें

पृष्ठ सं०

बिहार शिक्षा परियोजना
औरंगाबाद



BIHAR EDUCATION PROJECT
AURANGABAD

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

मदनपुर में विगत वर्ष 2011-12 में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्रकल्प -
AER-1FF निर्माण हेतु ₹ 1,51,112=0 भेजा
गया है। वर्तमान में ₹ 89,953=0 की कापी प्रतिका प्राप्त
हुआ है। अतः कापी प्रतिका के आधार पर शेष ₹ 89,953=0
(गवाही हज़ार नौ सौ तिरपन के मात्र) में खर्च कर कार्य
आदेश देना चाहते हैं।

14/08/13

14/08/13

AD
14/08/13

(प्रमाणित किया गया)

14/08/13

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद
अंतिम एवं पूर्ण समायोजन करने हेतु

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

भवदीय निदेशानुसार दिनांक 28.11.11 को विद्यालय शिक्षा समिति 50 मंच सि 97 भा

प्रखण्ड मदनपुर को संचिका के श्रेणी क्रमांक में योजना 2010-11 वित्तीय वर्ष 2011-12

पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पुर्ण स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण की राशि निम्न

प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए संचिका बंद करने का आदेश लेखा

शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	विवरण	राशि
1	प्राक्कलित राशि	2,20,000/-
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त) / कुल राशि	1,51,112/-
3	मापी पुस्तिका (M.B.) की राशि	2,17,843/-
4	व्यय विवरणी (S.O.E.) की राशि	—
5	उपलब्ध की जाने वाली राशि	66,781/-
(a)	कटौतियाँ:-	—
	वैट मद की गणना	—
(i)	सीमेन्ट, दरवाजा, खिड़की, पेन्ट (13.5%)	13,533.00
(ii)	इस्पात (छड़), स्टोन चिप्स, बालू, ईट	2537.00
	कुल वैट की राशि	16070.00
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी वैट की राशि	1112.00
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली वैट की राशि	14958.00
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना	—
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि (1.5%)	3285.00
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि	—
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि	3235/-
ख	पर्यवेक्षण शुल्क (1%)	2157/-
ग	पर्यवेक्षक का नाम रामधर मीरा	—
घ	कुल कटौतियाँ	20,350/-
च	शुद्ध भुगतये राशि	46381/-

दिनांक 11 दिसंबर 2011 को संचिका बंद करने हेतु

मापी पुस्तिका के अनुसार रू० 2,17,843/- का सामंजन होना है। पूर्व में रू० 899,581/- का सामंजन हो चुका है। शेष राशि रू० 6,159/- का सामंजन का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय शिक्षा समिति ऊठठ मठ विद्यालय प्रखण्ड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 2014-15 के वजतीय प्रावधान के अन्तर्गत ACRI के निर्माण हेतु प्रावकलित राशि रु0 2,20,000/- के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में रु0 1,51,112/- मात्र एवं द्वितीय किस्त के रूप में रु0 की राशि निर्गत की गई थी। जिसके विरुद्ध प्रथम समायोजन हेतु रु0 89958/- मात्र की अनुशंसा पूर्व में दिनांक 17/08/13 को की गई थी। जिसे लेखा शाखा द्वारा समायोजित कर लिया गया है। उक्त समायोजनोपरांत वि.शि.स. ऊठठ मठ विद्यालय प्रखण्ड मदनपुर के पास रु0 6,11,591/- की राशि असमायोजित रह जाती है।

उक्त असमायोजित राशि के विरुद्ध वि.शि.स. ने ACRI का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त पूर्ण किये गये कार्य के विरुद्ध शेष असमायोजित राशि रु0 6,11,591/- मात्र का अन्तिम समायोजन किया जा सकता है।

प्रमाणित करके निर्मित भवन की फोटो एवं गांधी पुस्तिका की प्रति इस दिपपत्री के साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित।

Deepak K.
कनीय अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना,
औरंगाबाद।

7/10/2014
सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना
औरंगाबाद।

जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद द्वारा अनुमोदित।

7/10/2014
हस्ताक्षर

मुगलेश राशि 46381/-
बैंक का नंबर PMB
घनादेश बैंक सं 551556
तिथि 10/02/14

मुगलेश राशि 1941/-
बैंक का नंबर PMB
घनादेश बैंक सं 551557
तिथि 10/02/14

4
लेखा पदाधिकारी
बिहार शिक्षा परियोजना
औरंगाबाद

7/10/2014
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा. शि. एवं सवं जिला औरंगाबाद
बि. शि. प., औरंगाबाद.

Schedule XLV-Form No. 134

~~construction of ACR-one in~~ **DIVISION**

~~government ~~pr~~ upgrade~~ **SUB-DIVISION**
middle school patya under madampur
block surangabad.

Measurement Book

600
14108112

Name to work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1. Providing		125 m.	n.	truck	
100 R, B/W		with C.M 1:4			
do-do		all comp job			
Bullt		2 x 8'-6" x 10'			= 50 cwt
Rock		1 x 1'-6" x 9'			= 10.5 cwt
					60.5 cwt
					or 5.62 sq m
					@ Rs 898 = 50/50 m
					= Rs 2218/00

(2.) providing R.C.C. 1:1½:3
 in stiff mass with stone
 chips do-do all comp job

		3 x 0'-10" x 0'-10" x 10'			= 20.66 cwt
					= 5.78 cum
					@ Rs 3562 = 40/cum
					= Rs 2066/00

(B.) providing R.C.C. (1:1½:3)
 in lintel with stone chips
 do-do all comp job

		length -			
		2 x 4'-4" + 2 x 8' + 1 x 5'-4"			= 26.83 cwt
		Arch - 3 x 1/2 x 6'			= 28.26
					0.5

Continuation

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
		= 54.5	5.0	
Qty =	54.5	10'	0'-6"	
		= 22.66	cbf	
64 cum @	35.5			40/cum
		=		R 2280/-
(4) Providing R.C. cast in lintel band with stone chips do do all com job:—				
Qty =	92'-2"			
	9' x 6'-0"		10' x 0'-6"	
				= 19.99 cbf

				= 20.76 cbf
Belt	2 x 2'-6"		0'-5" x 0'-6"	
				= 1.04 cbf
Bed-block	2 x 9'-4"		0'-10"	
			0'-8"	= 2.55 cbf
Sill band				
[92'-6" - (2 x 0'-6" + 3 x 6' + 1 x 4'-4")]			10' x 0'-3"	
				= 18.10 cbf
				= 14.7 cbf
				3 0.08 cbf = 3.08 cbf
				1.038 cum
				= 1.11 m ³
R 35.62				40/cum = R 39.43/-

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(5) providing 100ft brick work in s/s with c.m					
of 1:6					
do-do all comb job					
94' 2" x 0' - 10' x 10'					
					= 987.59 cwt
deduction					
Door					
2 x 8'-6" x 0' - 10' x 7'					
					= 40.67 cwt
Window					
2 x 5'-0" x 0' - 10' x 6'-0"					
					= 41.5 cwt

Side Verandah					
1 x 4'-4" x 0' - 10' x 7'					
					= 25.15 cwt
front verandah					
3 x 6'-0" x 0' - 10' x 5'-9"					
					= 85.90 cwt
3 x 5/8 x 6'-0" x 6'-0" x 0' - 10'					
					= 05.18 cwt
linel vide stem (3)					= 22.65 cwt
linel Band stem (4)					= 36.68 cwt
stibbler vide lin					
(2)					= 20.66 cwt
					= 310.76 cwt

= 8. continuation

(9) R 3201 = 10 =
R 28163/00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(6) Providing 6 mm. thick c/c 1 1/2" with panning and three coats of white washing at the top of the wall.					
Qty - 94'-2" x 0'-10"					
					= 78.16
					sq ft
2 x 2'-6" x 0'-5 1/2"					
					2108 sq ft
					78.85 sq ft
					7.82 sq m
⊙ 86280 = Rs 685/-					

(7) Providing 68 mm. thick window chajja R.C. c/c 1 1/2" 3" with stone chips do-do all comp job					
Qty -					
2 x 6'-0" x 9'-0" x 0'-9 1/2"					
					sq ft
⊙ Rs 3562 = 4000					
					Rs 500/-

(8) Providing 80 mm. thick R.C.C. 1 1/2" 3" in Raak slab with stone chips do-do all comp job					
Qty - 1 x 4 x 9'-10" x 2'-4"					
					x 0'-1 1/2" = 4.46 sq ft

Continuation

⊙ 3562 = 4000
= Rs 449/-

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(9) providing R.C.C. 1:1:2 in roof beam with stone chips do - do all work					16.32
Qty - 1 x 19'-8" x 0'-10 1/2"					
					= 16.32 cft
					Rs. 1646/-
(10) providing R.C.C. 1:1:2 3 in roof slab with stone chips do - do all work					
Qty -					

23'-4" x 27'-6" x 0'-5"					
					= 266.89 cft
22'-10" x 1'-6" x 0'-5"					
					= 14.25 cft
1 x 7'-8" x 1'-6" x 0'-5"					
					= 4.78 cft
2 x 2'-6" x 0'-5" x 0'-5"					
					= 87 cft
					286.79 cft
					Rs. 28926

(11) providing 16 M.M. M.S. rod for form hooks -

Qty - 4 x 20					
					Continuation
@ 98 = 20/cwt = Rs 399/w					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(12) providing R.C.C. starting to end!					
Stiffener	29.66		@ 2 kg/cft		45.32 kg
Lintel	22.65		@ 2 kg/cft		45.31 kg
L. Band	36.68		@ 2 kg/cft		73.36 kg
chajja	5 cft		@ 2 kg/cft		10 kg
Roak	4.46		cft @ 2 kg/cft		8.92 kg
Roof beam	11.32		cft @ 6 kg/cft		67.92 kg
Roof slab	28.6		cft @ 2 kg/cft		57.2 kg

862.56 kg

@ 61.600 = Rs 53183/-

Total = Rs 124353/-

Ramadhar maha.

I.S. Madanpur

Deduct other Deduction = 34400

Remaining = 89953/-

Ramadhar

maha.

14/08/13 11/8/13

(12) A other deduction is The portion which was deducted was measured = 344 Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(13) Providing 7 I. Pipe for raining water					
Stiff = 5 NO					
@ Rs 24 = 60/each					Rs 123/00
(14) Providing 16 gauge c.R. sheet with 25 x 35 x 5 m.m. angle for shutter	8	40 x 40 x 6	40 x 40 x 6	40 x 40 x 6	
doors 8 window do do					
all comb job :-					
Door - 2 x 3'-6" x 7" = 49.8 sq.ft.					
Window - 2 x 5'-0" x 5' = 50 sq.ft.					
					99.8 sq.ft.
					9.20 sq.m.
@ Rs 19.04 = 30/sqm					
					Rs 175.20/00

(15) Providing m.s. grill 20cm x 6cm for window	do do	do do	do do	do do	
all comb					
W = 2 x 5' x 5' = 50 sq.ft.					
@ 214/sqft = 7220/00					

(16) Providing 100 R, brick work in parapet with cm 1:6					
do do all comb job :-					

Arch -					
3 x 6'-0" x 3'-0" x 0'-5" = 92.16 cft					

Side Verandah					
1 x 4'-4" x 3'-0" x 0'-5" = 54 cft					

					27.86 cft
--	--	--	--	--	-----------

@ Rs 3888/100					179 cum
---------------	--	--	--	--	---------

					Rs 26176/00
--	--	--	--	--	-------------

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(17) black board					
	2	8'	4'		= 64 sft
children's verand					
	1	30'	9'		= 66 sft
					130 sft
or, 12, 08 sqm					
@ 125 = 60 / sqm					= Rs 1517/00
(18) providing 12 m.m. thick cement plaster with c.m. sand					136}
do-do all complete job					
inner wall					
	2	22'	18'	10'	= 800.0 sft
verand	2	22'	6'	10'	
					= 560.0 sft

Jamb 8 side

	14	6"	0'	10"	= 29.05
	2	20'	0"	12"	8. f T
					= 33.2 s.f.T
Arch	3	π/2	6'	0" x 0'-10"	
					= 23.45 sft
Deduction					1445.7
	2	3'	5"	7'	= 49 sft
	2	5'	5"		= 60 sft
Side verand	1	4'	4"	9'	= 30.31 sft
Arch	3	6'	0"	5'-9"	= 103.55 sft
	3	π/2	6'	0" x 6'-0"	
					= 42.89 sft
Black board	(17)				= 130 sft
					405.2 sft
Net area					= 405.2

Continuation sft.

= 1040.5 sft (A)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
outer wall -					
{ 22'-10" + 18'-10" + 6'-10" +					
22'-10" } x 10'-0" = 713.2					S.F.T
Deduction -					
w = 2 x 5' x 5' = 50 S.F.T					
Side Veran -					
1 x 4'-4" x 7' = 30.81 S.F.T					
Arch -					
3 x 6'-0" x 5'-9" = 103.5 S.F.T					
" 3 x 11/8 x 6' x 6' = 42.89 S.F.T					
					226.2 S.F.T
Net Qty -					
713.2 S.F.T - 226.2 S.F.T = 487.0 S.F.T					

Total Qty = A + B

= (1040.5 + 487) = 1527.5 S.F.T

(18) 61-90 / span = 141.96 S.F.M
 = 23.8787 / 0.7

(19) providing 12mm m. cement plaster 1:6 with cement & sand all compressive job

cap of Roof -
 11.49 x 0'-6" = 35.76 S.F.T

ceiling -
 1 x 22'-0" x 18' = 396.0

veran - 22' x 6' = 132

Roof Beam -
 3'-10" x 18'-0" = 68.94

Roof chajja -
 22'-10" + 7' continuation = 30.49

@ 52' = 80 / span = 61.65 S.F.M
 R 325.47 / 0.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(20) providing 50 mm thick I.P.S. flooring with stone chert 1:2 do all comp. job:—		4}			
	1 x 22'	x 18'	=	396	
	1 x 22'	x 6'	=	132	
				528 sft	
				= 49.2788 sqm	
	@ 265/80			= Rs. 13045/-	
(21) providing wooden beat at 7' height in class-room do-do all comp job					
	1 x 43'	x 2'	=	40.2'	
				13.45 sqm	

@ Rs 80-00/sqm = Rs 395/-

(22) providing three coat white washing in inner surface of wall do-do all comp job:—					
	94 y vide item (18)			= 1040.5 sft	
				396 sft	
				1436.5 sft	
				= 133.50 sqm	

@ Rs 6 = 80/8 sqm = Rs 908/-

(23) providing two coat concrete on outer wall do do all comp job:—					
	94 y vide item (18)			= 407.05 sft	
	charge = 2 x 5' x 2'			= 20.0 sft	
	(22' x 10' + 7' x 8') x 2			= 60.98 sft	

Continuation

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B. D.	
		5	67.98	
		=	52.78 sqm	
①	77	=	90 / sqm	
		=	4112 / u u	✓
(24) providing two coat paint & one coat primer Red lead paint & one coat primer of doors and window's as per spec. —				
Jook -				
		2.25	29 x 8'6" x 7' =	
				110.25
		②	2.25 x 2 x 5' x 5' =	
				112.5 sqft.

Grid - 2 x 5' x 5' = 50.0 sqft

			272.75	
		=	25.34 sqm	
②	13	=	40 = 25.34	✓

(25) providing two coat enamel paint on shutter & grid of doors & window. do. do all comp job. —

Qty vide item (24) =

			25.34 sqm	
③	63	=	90 / sqm	
		=	161.9 / u u	

(26) providing shuttering & propping work with removal in lintel, beam, band do. do all comp job. —

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Lintel	-				
		54.59	rot	x 1'-10"	
					99.89 sft
Lintel Band	-				
		48.17	x 1	=	48.17
		But	- 2 x 2'-6"	x 1	= 5.08
Sill Band	-				
		81.17	x 2	x 2'-3"	= 40.58
Beam	-				
		1 x 18'	0"	x 2'-10"	
					= 50.94 sft
					244.58
① 153 = 70 / sqm					
					= Rs 3494/00

(27) shuttering & propping
with cement in column
etc etc etc
3 x 2 x 0'-11" x 10' =
49.8 sft
at 4.62 sqm
@ 237 = 70 = Rs 1098/00

(28) Shuttering & propping work
with cement in chajja
& roof slab -
chajja - 2 x 6'-0" x 2' = 24 sft
Raft - 4 x 3' x 1'-6" = 18.5 sft
Roof - 10' x 10' = 689.39
8 sft
781.39 sft
@ Rs 179 = 20 / sqm
67.97 sqm
= Rs 12180/00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Total = Rs 224 129/-				
Ramadhay mchty.					
T.S. Madan sur.					
(29) Actual carriage =					
5.59%					12370
	Total =				236499
(30) Deduct c p					
13.05%	x 236499				
	100				= 30863%
					205636/-
(31) Local carriage					
2%					4112
(32) Quality control	29748/				
	= 1.5%				= 3146.22

(33)					2097/-
(34) Other charges =					8000%
	Rs 222971/0				
Ramadhay mchty.					
T.S. Madan sur.					
Limit = 2,20,000/-					
Actual cost (2%) 2,15,686/-					
Add T.S. charge 2,157/-					
M.B. value 2,17,843/-					
Labour cost 30% 64706/-					
Material cost = 1,50,980/-					
Cost of cement 286 X @ 245.27					
= 70147.22/-					
Cost of grill, window & door					

Continuation



स्वयं मे

(7)

श्री मान जिला कार्यक्रम पराधिकारी
स्वयं शिक्षा अभियान झौड़ाबाद (बिहार)

विषय: ACR-1, ^(FF) कमरा 201 होने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सर्वशिक्षा
अभियान झौड़ाबाद कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2011-12 में ACR-1
(FF) कमरे के निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 150000000 (एक करोड़
पचास हजार (पच्चीस लाख) रुपये का धन इकाया) द्वितीय किस्त की राशि
अर्थात् श्री जिसके सिविल, ईड, गिरी-इंजीनियरिंग की राशि अर्थात्
उपरोक्त कार्य की राशि का निदान करीव
पर्यवेक्षण के क्षेत्र में प्रती हो गया है जहां श्री मान के निदेश
हैं कि द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त की राशि निर्धारित
रूप में जाय।

जिला कार्यक्रम पराधिकारी
कार्य पूर्ण हो गया है
अन्तिम किस्त की राशि
निर्गत की जा सकती
है।
Ramaakhar Mehta,
T.S. Madanpur

हापका विद्यालय
स्वयं शिक्षा
प्रधानाध्यापक
रा० कर्कमित म० वि० परिया
मदनपुर, झौड़ाबाद (बिहार)

105



100-2

106

469

4/12

स्नेहा में,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा
अभियान औरंगाबाद (बिहार)

विषय :- उत्कृष्ट मध्य विद्यालय पत्तिया, मदनपुर में अतिरिक्त
वर्षा कक्षा (IFF) के प्रथम किस्त की शशि उपलब्ध
कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मेरे विद्यालय
उत्कृष्ट मध्य विद्यालय पत्तिया, मदनपुर में अतिरिक्त वर्षा कक्षा
(IFF) प्रस्तावित है। विद्यालय परिसर में निर्माण हेतु पर्याप्त
जमीन उपलब्ध है एवं किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विद्यालय
का शवा संख्या 50070437853 है। तथा शाखा का नाम
इलाहाबाद बैंक मदनपुर, IFS code - ALLA0211297 है। मेरे
विद्यालय में तदर्थ समिति का गठन ही चुका है। साथ में एक शिका
प्रकर जमा किया जा रहा है।

अतः निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त की शशि उपलब्ध
कराने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा।

908
6/2/14

m. o. प्राप्त किया
Ramadhar
mehra
30/9/13

आपका विश्वास भोजन

संजय कुमार
सं. शिक्षा
प्र. (उपायक)
शा. प्रा. वि. पत्तिया
मदनपुर (औरंगाबाद)

मौलाहल नं:- 9931839904

दिनांक - 22-02-2012

05

1



30000 रु - 100 = 2

30000 रु 20 = 20

अनुसूची

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) के माध्यम से निर्माण हेतु एक एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक...28/11/11...को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद(वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय.....D. Kumar.....(प्रथम पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) उत्कल महा विद्यालय पटना
.....ग्राम.....पटना.....प्रखण्ड.....ह.3.1.52
.....जिला.....आ.शा.प.3.....और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेंट
तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित है, को कहा जाय.....
.....(द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम को एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त AER-1 वर्ग-कक्ष, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है U.F.P.W उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त-दोनों-पक्ष-निम्नांकित-समझौते-और-शर्तों-को-स्वीकार-करते-हैं-:-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा)
~~110,000~~ 2,10,000 /रुपये जो स्वीकृत प्राक्कलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

(2)

3. निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र. अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई) कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चों का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

3

03

4 लेखा का संधारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य... 0.6 months... (महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राईंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीने में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या काग्र विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

4

7. द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएँगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्शाकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

7.2 अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों का पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

8. विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे

10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।

11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
.....सचिव,
विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री
..... विद्यालय के

श्री
राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
शिक्षा परियोजना परिषद समिति
जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

अ) प्रधानाध्यापक..... संजय कुमार.....
समिति की ओर से द्वितीय पक्ष

ब) सहसचिव शिक्षा संजय कुमार.....

गवाह

1. इन्द्रदेव राम

2. आरती कुमारी

NOTE: नई शिक्षा समिति का गठन हो चुका है परन्तु खाना का संयोजन अभी नहीं हो पाया है।